न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर ।
उपस्थितः– अनिल कुमार यादव–I. (एच०जे०एस०)

सत्र परीक्षण सं0–140/2021
सी०एन०आर०सं०–UPJP 0100 3328 2021
राज्य ..... प्रति .....धर्मेन्द्र पुत्र रमेश मौर्या,
निवासी रतासी, थाना सिंगरामऊ, जौनपुर।
मु0 अ 0 सं0–16/2021
धारा–302 भा०दं०सं०
थाना–महाराजगंज, जिला जौनपुर।

एवं

सत्र परीक्षण सं0– 141/2021
सी०एन०आर०सं०–UPJP 0100 3329 2021
राज्य ..... प्रति .....धर्मेन्द्र पुत्र रमेश मौर्या,
निवासी रतासी, थाना सिंगरामऊ, जौनपुर।
मु0 अ 0 सं0–18/2021
धारा–3/25 आयुध अधिनियम
थाना–महाराजगंज, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामलों का विचारण मु०अ०सं०–16/2021 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० तथा मु०अ०सं०–18/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना महाराजगंज, जौनपुर में अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध प्रेषित दो अलग–अलग आरोपपत्रों के आधार पर किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कुलदीप मौर्य द्वारा थाना महराजगंज, जौनपुर पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी कुलदीप मौर्य पुत्र रामसुमेर मौर्य, ग्राम मल्लुपुर, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। मेरी पुत्री काजल अपने मामा फतेहबहादुर ग्राम ढेल्हूपुर, थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर के यहाँ गयी थी। दिनाँक 09.02.2021 को मेरी पुत्री काजल अपनी बड़ी बहन रिचा के साथ अपने मामा के यहाँ कमरे में मौजूद थी, समय लगभग 1.30 बजे दोपहर पर धर्मेन्द्र भी अपने रिश्तेदारी में ढेल्हूपुर गया था, जो मेरी पुत्री के ननिहाल के कमरे में जाकर जब मेरी बड़ी बेटी रिचा रसोई में खाना निकालने के लिये गयी, तो इसी अवसर का लाभ उठाते हुए धर्मेन्द्र ने काजल को गोली मार दी। आवाज सुनकर सभी लोग नीचे आये तो धर्मेन्द्र ने बताया कि काजल का पेट फट गया है, हमें तुरन्त हॉस्पिटल ले चलना है। सभी लोग आनन फानन में काजल को लेकर सी०एच०सी० बदलापुर आये साथ में धर्मेन्द्र भी था, जब डॉक्टर ने गोली लगने का जिक्र किया, तो धर्मेन्द्र ने वहाँ से भाग लिया। उसके बाद डाक्टर ने काजल को मृत घोषित कर दिया। मेरी पुत्री की लाश सी०एच०सी० बदलापुर में रखी हुई है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.12 16:46:36 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur

3. वादी कुलदीप मौर्य की उक्त तहरीर के आधार पर थाना महाराजगंज,जौनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–16/2021 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र पंजीकृत की गयी।

4. दौरान विवेचना दिनांक 13.02.2021 को एस.ओ. ओमनरायण सिंह (विवेचक) मय हमराही हे० का० वीरेन्द्र यादव, हे०का० भाईलाल मय सरकारी बुलेरो गाड़ी मय आरक्षी चालक अर्जुन याद थाना हाजा से रवाना होकर मु०अ०सं० 16/2021 धारा 302 भा०दं०सं० में वांछित अभियुक्त की तलाश में कस्बा महाराजगंज में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्या कहीं जाने की फिराक में वाहन का इंतजार में बैहारी पुलिया के पास खड़ा है, शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पर विश्वास करके विवेचक ओमनरायण सिंह मय हमराहियान पूर्व से रवाना शुदा द्वितीय टीम के एसएसआई श्री दिनेश कुमार, का० विरेन्द्र यादव, कां० सुनील यादव व थाना हाजा के श्री मोरध्वज दूबे को बाला बाला तलब कर मय मुखबिर के बताये हुए स्थान की ओर चल दिये कि जैसे ही पुलिस वाले बैहारी पुलिया के करीब पहुंचे तो मुखबिर ने दूर से देख कर इशारा करके बताया कि पुलिया के पास खड़ा व्यक्ति ही अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्या है। विवेचक हमराह कर्मचारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश कर गाड़ी से उतर कर आगे बढ़े कि पुलिस वालों को अपनी तरफ आता देख कर खड़ा व्यक्ति गद्दोपुर की तरफ सड़क पर जाने लगा जिसे आवाज देकर रोका गया तो नहीं रूका और भागने लगा कि हम पुलिस वाले दौड़कर घेर कर एक बरागी दबिश देकर आवश्यक बल का प्रयोग कर सड़क चुस्ता पर बैहारी पुलिया से लगभग 100 मीटर की दूरी पर समय 6.30 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम धर्मेन्द्र मौर्या पुत्र रमेश मौर्या, निवासी ग्राम रतासी, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर बताया। जामा तलाशी से पहने पैण्ट के बांयी फेट से एक अदद तमन्चा 12 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व एक अदद कारतूस खोखा 12 बोर तमन्चे के चैम्बर में फंसा हुआ नाजायज बरामद हुआ। अभियुक्त से तमन्चा व कारतूस रखने का लाइसेन्स तलब किया तो नहीं दिखा सका और माफी मांगने लगा तथा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 09.02.2021 को ग्राम डेल्हूपुर महराजगंज में अपनी रिश्तेदारी की लड़की काजल को गोली मारकर हत्या करके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा जौनपुर के विभिन्न रिश्तेदारियों में लुक छुप कर रह रहा था, मुम्बई भागने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, उसी की व्यवस्था में आया था कि आप लोगों ने पकड़ लिया। अभियुक्त को उसके कृत्य अन्तर्गत धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम का दण्डनीय अपराध बताकर तथा मु०अ०सं० 16/2021 धारा 302 भा०दं०सं० से सम्बन्धित होने के कारण अभियुक्त को गिरफ्तारी बता कर हिरासत में लिया गया तथा बरामद माल को एक कपड़े में रख कर सील कर सर्व मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया। दौरान गिरफ्तारी बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दी गयी। कथित बरामदगी के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध सम्बन्धित थाने में एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 18/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत की गयी।

5. दौरान विवेचना विवेचकों द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया गया और मामले की सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त सकंलित साक्ष्य के आधार पर मु०अ०सं० 16/2021 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० तथा मु०अ०सं० 18/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध अलग–अलग आरोपपत्र प्रेषित किये गये। जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा क्रमशः दिनांक 21.06.2021 व दिनांक 07.04.2021 को प्रसंज्ञान लिया गया।

6. धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन के पश्चात् न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के आदेश दिनांकित 09.07.2021 के द्वारा मु०अ०सं०–16/2021 अन्तर्गत धारा–302 भा०दं०सं० तथा मु०अ०सं०–18/2021 अन्तर्गत धारा–3/25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त धर्मेन्द्र की पत्रावलियां सत्र सुपुर्द की गयी, जिसपर क्रमशः सत्र विचारण संख्या–140/2021 व 141/2021 अंकित हुआ, जो बाद अन्तरण विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

7. न्यायालय द्वारा दिनांक 15.04.2022 को अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध मु०अ०सं० 16/2021 में धारा–302 भा०दं०सं० तथा मु०अ०सं० 18/2021 में धारा 3/25 आयुध अधिनियम आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

8. एस.टी संख्या 141/2021 की पत्रावली एस.टी. संख्या 140/2021 से सम्बन्धित होने के कारण दोनों पत्रावलियों का साक्ष्य एस.टी. संख्या 140/2021 में अंकित किया गया है।

9. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी प्रस्तुत कराये गये है–

क्रमांक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)**
पी०डब्लू० 1	कुलदीप मौर्य	वादी (मृतका का पिता)
पी०डब्लू० 2	फतेहबहादुर मौर्य	अन्य गवाह (मृतका का मामा)
पी०डब्लू० 3	उपनिरीक्षक हरीश्चन्द्र सिंह	पंचनामाकर्ता
पी०डब्लू० 4	जयप्रकाश मौर्य	तहरीर लेखक (बहनोई मृतका)
पी०डब्लू० 5	दिनेश कुमार मौर्य	अन्य गवाह (मृतका का चाचा)
पी०डब्लू० 6	डा० शायन दास	अन्त्य परीक्षक
पी०डब्लू० 7	निरीक्षक ओम नरायन सिंह	विवेचक अपराध संख्या 16/2021
पी०डब्लू० 8	हे०कां० पारसनाथ यादव	चिक/जी०डी० लेखक
पी०डब्लू० 9	उपरनिरीक्षक रामजनम यादव	विवेचक अपराध संख्या 18/2021

अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तद्नुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

10. अभियोजन के ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

क्रम संख्या	**प्रदर्श क्रमांक**	**प्रपत्र**	**साक्षी, जिनके द्वारा प्रपत्र साबित किये गये**
1.	प्रदर्श क–1	लिखित तहरीर	पी०डब्लू० 1
2.	प्रदर्श क–2	पंचनामा प्रपत्र	पी०डब्लू० 2
3.	प्रदर्श क–3	पत्र प्रतिसार निरीक्षक	पी०डब्लू० 3
4.	प्रदर्श क–4	पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी	पी०डब्लू० 3
5.	प्रदर्श क–5	पुलिस फार्म सं० 13	पी०डब्लू० 3
6.	प्रदर्श क–6	नमूना मुहर	पी०डब्लू० 3
7.	प्रदर्श क–7	फोटोनाश	पी०डब्लू० 3
8.	प्रदर्श क–8	शव विच्छेदन आख्या	पी०डब्लू० 6

9.	प्रदर्श क–9	नक्शानजरी (मु०अं०सं० 16/2021)	पी०डब्लू० 7
10.	प्रदर्श क–10	फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी	पी०डब्लू० 7
11.	प्रदर्श क–11	आरोपपत्र (मु०अ०सं० 16/2021)	पी०डब्लू० 7
12.	प्रदर्श क–12	कायमी जी.डी. (मु०अ०सं० 16/2021)	पी०डब्लू० 8
13.	प्रदर्श क–13	चिक एफ.आई.आर (मु०अं०सं० 16/2021)	पी०डब्लू० 8
14.	प्रदर्श क–14	कायमी जी.डी.(मु०अ०सं० 18/2021)	पी०डब्लू० 8
13.	प्रदर्श क–15	चिक एफ.आई.आर. (मु०अ०सं० 18/2021)	पी०डब्लू० 8
16.	प्रदर्श क–16	नक्शानजरी (मु०अं०सं० 18/2021)	पी०डब्लू० 9
17.	प्रदर्श क–17	जिलाधिकारी जौनपुर को प्रेषित पत्र	पी०डब्लू० 9
18.	प्रदर्श क–18	आरोपपत्र (मु०अ०सं० 18/2021)	पी०डब्लू० 9
19.	प्रदर्श क–19	मृतका के वस्त्रों से संबंधित सीरो परीक्षण रिपोर्ट	लोकअभिलेख होने के कारण नियमानुसार प्रदर्श डाला गया।
20.	प्रदर्श क–20	खून आलूदा व सादा मिट्टी सम्बन्धित रिपोर्ट	लोकअभिलेख होने के कारण नियमानुसार प्रदर्श डाला गया।
21.	प्रदर्श क–21	विधि विज्ञान प्रयोगशाला का आयुध परीक्षण रिपोर्ट	लोकअभिलेख होने के कारण नियमानुसार प्रदर्श डाला गया।
22.	प्रदर्श क–22	जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा दी गयी अभियोजन स्वीकृत दिनांकित 24.03.2021	लोकअभिलेख होने के कारण नियमानुसार प्रदर्श डाला गया।
23.	वस्तु प्रदर्श 1 लगायत वस्तु प्रदर्श 14	दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त आलाकत्ल/कारतूस तथा विवेचक द्वारा घटनास्थल से लिये गये मृतका के कपड़े, खूनालूद आदि	पी०डब्लू० 7

11. न्यायालय द्वारा दिनांक 09.02.2026 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत व झूठ होने तथा उसके पास से कोई बरामदगी न होने और किसी को गोली न मारने का कथन किया। साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयान के सम्बन्ध में गलत कथन करने तथा गलत ढंग से झूठी प्राथमिकी दर्ज कराये और गलत तरीके से पंचनामा प्रपत्र तैयार किये जाने का कथन किया गया। साक्षी पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 4 के बयान को गलत/झूठा बयान देने का कथन किया। पी०डब्लू० 3, पी०डब्लू० 5 व पी०डब्लू० 6, पी०डब्लू० 8, पी०डब्लू० 9 के बयान के सम्बन्ध में गलत कथन करने और गलत ढंग से प्रपत्र तैयार किये जाने का कथन किया। साक्षी पी०डब्लू० 7 के बयान के सम्बन्ध में गलत/झूठा कथन करने तथा फर्जी बरामदगी दिखाये जाने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा प्रपत्र प्रदर्श क–19 लगायत प्रदर्श क–22 के बारे में जानकारी न होने का कथन किया। अभियुक्त द्वारा उसके विरूद्ध मुकदमा रंजिशन व गलतफहमी में चलने तथा साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान के सम्बन्ध में रंजशिन तथा लिखाने व पढ़ाने

के आधार पर दिये जाने का कथन किया। सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए निर्दोष होने तथा गलत ढंग से फंसाये जाने का कथन किया गया।

12. दौरान बहस अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा दिनांक 09.02.2021 को समय करीब 1.30 बजे दिन में वादी मुकदमा की पुत्री काजल की गोली मार कर हत्या की गयी। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाए।

13. बचाव पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभाष है। वादी द्वारा रंजिशन/गलतफहमी में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होते। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

14. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को सन्देह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

अभियोजन के द्वारा पत्रावली पर उक्त दायित्व के निर्वहन में परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू01 वादी **कुलदीप मौर्य** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा ससुराल ग्राम ढेल्हूपुर, थाना महराजगंज, जौनपुर में है। मेरे ससुर का नाम मोतीलाल है। मेरे ससुर दो भाई थे। दूसरे भाई का नाम हीरालाल है। मेरे ससुर मोतीलाल के दो लड़के व एक लड़की है। लड़की का नाम सुशीला है, सुशीला की शादी मेरे साथ हुई है। मेरे ससुर के भाई हीरालाल को दो लड़के व तीन लड़कियां हैं। हीरालाल के एक लड़की का नाम शान्ती है, बाकी दो लड़कियों का नाम याद नहीं आ रहा है। शान्ती की शादी रमेश के साथ हुई है। रमेश ग्राम रातासी, थाना सिंगरामऊ के रहने वाले है। शान्ती का लड़का धर्मेन्द्र इस मुकदमे में अभियुक्त है। मेरी तीन लड़कियां हैं। बड़ी का नाम पूजा, उससे छोटी का नाम रिचा तथा उससे छोटी का नाम काजल है। मेरा एक लड़का नितिन भी है। इस मुकदमे में मेरी लड़की काजल की हत्या हुई है। मेरी पत्नी व पुत्री रिचा घटना के पहले से ही ग्राम ढेल्हूपुर में थे। मेरे ससुराल में दिनांक 08.02.2021 को पूजन कार्यक्रम था। उसी पूजन कार्यक्रम में मेरी लड़की काजल दिनांक 08.02.2021 को अभियुक्त धर्मेन्द्र के साथ ढेल्हूपुर गयी थी। घटना दिनांक 09.02.2021 को दोपहर करीब 01.30 बजे की है। मेरी लड़कियां रिचाव काजल कमरे में बैठी थीं। रिचाअपने मामा के लिए खाना लेने रसोई में चली गयी। तब धर्मेन्द्र कमरे में अंदर चला गया। उसी समय गोली चलने की आवाज आयी। तभी रिचा दौड़कर कमरे में आयी तो धर्मेन्द्र ने कहा काजल का पेट फट गया है, खून निकल रहा था, इसे अस्पताल ले चलना है। काजल के मामा फतेह बहादुर ने मुझे फोन करके कहा कि काजल की हालत खराब है। आप तुरन्त सरकारी अस्पताल बदलापुर पहुंचे। इस सूचना पर मैं अपने भाई दिनेश व गांव के प्रेमशंकर, विशाल, अच्छेलाल और गांव के कई लोग सरकारी अस्पताल पहुंचा तो मैं देखा कि फतेह बहादुर, धर्मेन्द्र, गुड्डू, अरुण, रिचातथा गांव के अन्य लोग पहले से मौजूद थे। डॉक्टर ने मेरी लड़की को देखकर कहा कि इसे गोली लगी है। डॉक्टर ने मेरी लड़की को मृत घोषित कर दिया, तो धर्मेन्द्र वहां से चला गया। मेरी लड़की रिचाने घटनास्थल पर घटित सारी बात मुझसे बतायी। इसके बाद मैं, मेरा भाई दिनेश, फतेह बहादुर व गांव के प्रेमशंकर आदि लोग थाना महराजगंज गये, जहां मैंने जयप्रकाश से बोलकर एक प्रार्थनापत्र लिखवाया। उसे पढ़वाकर, सुनकर उस पर अपना हस्ताक्षर

बनाकर थाना महराजगंज में दिया। शामिल पत्रावली कागज सं०–4/4 प्रार्थनापत्र को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थनापत्र है, जो मैंने थाना महराजगंज में दिया था। तहरीर पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरा मुकदमा पंजीकृत करके थाना महराजगंज की पुलिस सरकारी अस्पताल, बदलापुर में आयी। जहाँ मेरी लड़की काजल का शव का पंचनामा मेरे सामने किया था। शामिल पत्रावली कागज सं०–7/1 व 7/2 पंचायतनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पंचायतनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया था। दरोगा जी ने घटना के सम्बन्ध में मेरा बयान लिया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू02 के रूप में **फतेह बहादुर मौर्य** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे पिता जी दो भाई थे, जिनके नाम हीरालाल व मोतीलाल है। मेरे बड़े पिता हीरालाल के दो लड़के व तीन लड़कियां हैं। लड़कियों के नाम शान्ती, सरोजा एवं मालती है। शान्ति की शादी रमेश मौर्य निवासी रतासी के साथ हुई है। अभियुक्त धर्मेन्द्र शान्ती का ही लड़का है, मैं दो भाई व एक बहन हूँ। बड़े भाई का नाम रामबहादुर मौर्य है। रामबहादुर की मृत्यु घटना के कुछ दिन पूर्व ही हुई थी। मेरी एक बहन सुशीला है, जिसका विवाह कुलदीप मौर्य, निवासी मल्हपुर से हुई थी। सुशीला को तीन लड़कियां व एक लड़का है। लड़कियों के नाम पूजा मौर्या, रिचाव काजल है। काजल की इस घटना में हत्या हुई थी। दिनांक 08 फरवरी, 2021 को मेरे घर पूजन कार्यक्रम था, जिसमें मैंने अपने बहनोई कुलदीप व रमेश को भी बुलाया था। इस पूजन कार्यक्रम में धर्मेन्द्र 08 तारीख को ही मेरे घर आया था। मेरे बहनोई कुलदीप व रमेश पूजन में नहीं आये थे। मेरी भांजी रिचाघटना के पहले से ही मेरे घर पर थी। घटना दिनांक 09.02.2021 को दोपहर लगभग 01:30 बजे की है। मैं चांदा से दवा लेकर घर पहुंचा तो ऋचा, काजल तथा धर्मेन्द्र कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मैं रिचासे खाना मांगकर छत पर जा रहा था और छत पर पहुंचने वाला ही था कि तभी घर में गोली चलने की आवाज आयी। गोली की आवाज सुनकर मैं कमरे में नीचे आया तो देखा कि काजल लेटी थी और उसके पेट से खून निकल रहा था। जब मैं नीचे आया, तो उस समय काजल के पास धर्मेन्द्र व रिचा मौजूद थे। धर्मेन्द्र ने कहा कि 'काजल का पेट फट गया है, इसे अस्पताल ले चलना है।' तब मैं अपनी भांजी काजल को लेकर सरकारी अस्पताल बदलापुर गया। मेरे साथ ऋचा, धर्मेन्द्र, अरुण व गुड्डू भी सरकारी अस्पताल बदलापुर गये थे। मैं घर से बदलापुर निकलते समय अपने बहनोई कुलदीप को सूचित किया कि मैं काजल को लेकर सरकारी अस्पताल बदलापुर जा रहा हूँ, वहीं पहुंचिए। जब हम लोग काजल को लेकर सरकारी अस्पताल बदलापुर पहुंचे तो कुलदीप अपने भाई व गांव वालों के साथ बदलापुर सरकारी अस्पताल पहुंच गये थे। डॉक्टर ने काजल की चोट को देखकर कहा कि यह गोली की चोट है, यह बात सुनते ही धर्मेन्द्र वहां से फरार हो गया। डॉक्टर ने काजल को मृत घोषित कर दिया। हम लोगों ने रिचा से पूछा कि तुम नीचे थी, वहां क्या हुआ था? काजल को गोली कैसे लगी? तब रिचाने बताया कि धर्मेन्द्र काजल से एकतरफा प्यार करता था। सरकारी अस्पताल बदलापुर से मैं, मेरे जीजा कुलदीप, दिनेश, जयप्रकाश व कुछ अन्य लोग थाना महराजगंज गये, जहां मेरे जीजा कुलदीप ने एक प्रार्थनापत्र लिखवाकर दिया। मुकदमा पंजीकृत कर थाना की पुलिस सरकारी अस्पताल बदलापुर आयी, जहां मृतक काजल के शव का पंचनामा मेरे सामने हुआ। पंचनामा पर मैंने अपना दस्तख्त बनाया था। शामिल पत्रावली पंचनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–2 अंकित है। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू03 के रूप में **उपनिरीक्षक हरीश्चन्द्र सिंह (पंचनामाकर्ता)** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.02.2021 को मैं थाना महराजगंज में चौकी प्रभारी, ए०बी०एस० नगर, थाना महराजगंज पर कार्यरत था। उक्त तिथि को सूचना प्राप्त होने पर मैं सी०एच०सी०ए बदलापुर पहुंचा। मेरे साथ कां०

हरेन्द्र कुमार व कां० रवि कुमार यादव थे, जो मय एफ०आई०आर० नंबर 16/21 ए धारा 302 भा०द०सं०, जी०डी० नंबर 38 मय पंचनामा जिल्द वहां मिले। मौके पर थानाध्यक्ष महराजगंज ओमनरायन सिंह मय फोर्स व वरिष्ठ उपनिरीक्षक दिनेश कुमार भी मौजूद थे। महिला कां० अपर्णा शुक्ला भी मौके पर थी। सी०एच०सी० बदलापुर के इमरजेंसी वार्ड के बेड पर मृतका काजल कुमारी मौर्य पुत्री श्री कुलदीप मौर्य का शव पड़ा था। मौके पर मृतका के परिवारीजन, रिश्तेदार तथा ग्रामवासी मौजूद थे, जिनमें से पंचान नियुक्त कर पंचनामा की कार्यवाही की गयी। थानाध्यक्ष के निर्देशन में महिला कां० अपर्णा शुक्ला द्वारा शव मृतका लोक–लाज का ध्यान रखते हुए शव का निरीक्षण कराया गया। का शव सी०एच०सी० बदलापुर के इमरजेन्सी वार्ड के बेड पर पड़ा था। मृतका के शव पर कुर्ती सफेद रंग खून आलूदा, कुर्ते पर फूल छपा हुआ था व छेद था। पैंट जींस रंग नीला खून आलूदा, ब्रा बाजारू रंग क्रीम खून आलूदा, पैंटी बाजारू रंग ब्राउन, लैगी बाजारू रंग काला, दोनों कान में नगदार लाल रंग लगा हुआ, नाक में कील पीली धातु का, बांये हाथ में कलावा काले व लाल रंग का, बांये हाथ ही अनामिका अंगुली में पीली धातु की रिंग, बांये पैर के ऐड़ी के पास काला धागा बंधा था। मृतका के पेट के ऊपर तथा सीने के नीचे बीच में गोल छेद चोट का निशान मौजूद था। पंचान द्वारा पूछने पर गोली लगने से मृत्यु होना बताया गया। पंचनामा करने के उपरांत पंचनामा प्रपत्र मौके पर ही मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया तथा पंचान के हस्ताक्षर बनवाए गये, शामिल पत्रावली कागज सं०- 7/1 व 7/2 पंचनामा पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-2 पहले से अंकित है। पंचनामा से संबंधित प्रपत्र कागज सं०-8/5 पत्र प्रतिसार निरीक्षक कागज सं०-8/6 पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कागज सं०-8/7 पुलिस प्रपत्र 13, कागज संख्या-8/8 नमूना मुहर कागज संख्या-8/9 फोटो नाश मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। उक्त साभी प्रपत्रों पर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क-3 लगायत प्रदर्श क-7 डाला गया। पंचनामा के उपरान्त शव को सर्वमुहर कर पोस्टमार्टम कराने हेतु कान्सटेबल रवि कुमार यादव को सुपुर्द किया गया।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू04 के रूप में **जयप्रकाश मौर्य** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक 09.02.2021 की है। मैं उस समय मुंगराबादशाहपुर में था। समय करीब 3 बजे अपराह्न मेरे ससुराल ग्राम मल्होपुर, थाना सिंगरामउ से मेरी शाली रिचा ने फोन करके बताया कि उसकी छोटी बहन काजल को अभियुक्त धर्मेन्द्र ने गोली मार दिया है, जिससे उसका पेट फट गया है। उसे ईलाज हेतु बदलापुर सरकारी अस्पताल ले गये हैं। मैं भी सूचना पर बदलापुर अस्पताल पहुंचा तो वहां पर मेरे ससुर कुलदीप मौर्य व परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। मेरे ससुर ने बताया कि चिकित्सक ने काजल को मृत घोषित कर दिया है। तब मैं, मेरे ससुर व परिवार के लोग थाना महराजगंज आये। थाने के बाहर ही मेरे ससुर कुलदीप ने घटना के बावत बोल–बोलकर एक प्रार्थनापत्र लिखवाया। प्रार्थनापत्र लिखने के उपरांत मैंने पढ़कर अपने ससुर को सुनाया था। सुनने के उपरांत मेरे ससुर ने अपना हस्ताक्षर बनाकर थाना महराजगंज में तहरीर दिया, जो आज तहरीर शामिल पत्रावली कागज सं०–4 क/4 मेरे लेख में है, जिस प्रदर्श क–1 पहले से पड़ है। मेरी दोनों सालियां रिचा और काजल घटना के दिन अपने ननिहाल ढेल्लूपुर, थाना महराजगंज में थीं और यह घटना ढेलूपुर में ही घटित हुई है। मेरी साली रिचाने ढेलूपुर से ही घटना के बारे में बताया था। इस घटना के बावत विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू05 के रूप में **दिनेश कुमार मौर्य** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे भाई कुलदीप मौर्या की शादी ग्राम ढेल्लूपुर, थाना महराजगंज, जौनपुर में मोतीलाल की पुत्री सुशीला के साथ हुई है। मेरी भतीजी काजल दिनांक 08.02.2021 को अपने मामा के घर पूजन में सम्मिलित होने ढेल्लूपुर गयी थी। दिनांक 09.02.2021 को मेरे भाई कुलदीप ने मुझसे कहा कि काजल की हालत बहुत खराब है, सरकारी

अस्पताल बदलापुर चलना है। तब मैं अपने गांव के प्रेमशंकर, विशाल, अच्छेलाल व कई लोगों के साथ अपने भाई कुलदीप को लेकर सरकारी अस्पताल, बदलापुर गया, जहां अस्पताल में मेरे भाई कुलदीप का साला फतेह बहादुर तथा ढेल्लूपुर गांव के बहुत से लोग इकट्ठे थे। मेरी भतीजी काजल की लाश सरकारी अस्पताल, बदलापुर में पड़ी थी। घर वाले रो–पीट रहे थे। गांव वालों के कहने पर मैं, मेरा भाई कुलदीप, गांव के प्रेमशंकर, कुलदीप का साला फतेहबहादुर तथा कुलदीप का दामाद जयप्रकाश थाना मुंगराबादशाहपुर आये, जहां मेरे भाई कुलदीप मौर्य ने जयप्रकाश से प्रार्थनापत्र लिखवाकर थाने में दिया था। थाना महराजगंज की पुलिस सरकारी अस्पताल बदलापुर आकर काजल के शव का पंचनामा मेरे सामने किया था। पंचनामा पर मैंने भी अपना हस्ताक्षर बनाया था। शामिल पत्रावली कागज सं०–7/1 व 7/2 पंचनामा पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क–2 पहले से अंकित है। घटना के सम्बन्ध में दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू06 के रूप में **डा० शायन दास** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 10.02.2021 को चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, जौनपुर के पद पर कार्यरत था। उस दिन यानि दिनांक 10.02.2021 को समय करीब 3 पी०एम० पर एक शीलबंद शव व 11 अदद पुलिस प्रपत्रों के साथ शव विच्छेदन हेतु कां० विरेन्द्र व कां० रवि कुमार यादव ने प्रस्तुत किया था। शव की शिनाख्त फतेह बहादुर मौर्य व दिनेश कुमार मौर्य ने किया था। मृतका काजल कुमारी मौर्या पुत्री कुलदीप मौर्या उम्र 22 वर्ष, निवासी मल्लूपुर, थाना सिंगरामऊ, जौनपुर।

सामान्य परीक्षण– ऊँचाई 154 सेमी०, वजन 52 किग्र० औसत कद–काठी की थी। शव पर कुर्ति, जिन्स, ब्रा, अण्डरवियर व हाफ पैन्ट था। कुर्ति पर खून के धब्बे मौजूद थे, शव पर मृत्यु पश्चात् की अकड़न पूरे शरीर में मौजूद थी, हाथ व मुँह बंद थे।

मृत्यु पूर्व चोट– प्रवेश घाव 3.5 सेमी० X4.00 सेमी० पेट के ऊपरी हिस्से पर जो कि 11 सेमी० दाहिने निप्पल से व 13 सेमी० बांये निप्पल की दूरी पर स्थित था। घाव को खोलने पर लीवर लेसरेटेट(फटा) हुआ था, जो 6 सेमी० X 4 सेमी० तथा कई सारे पिलट्स लीवर के ऊपर मौजूद थे, जिसे रिकवर किया गया। ये पिलट्स लंग्स के निचले हिस्से एवं आँत से रिकवर किये गये, दाहिना फेफड़ा का निचला हिस्सा फटा हुआ था, 2 ली० खून के थक्के मौजूद थे तथा दाहिने तरफ की 7 वीं से 9 वीं रिब्स टूटी थी।

आन्तरिक परीक्षण– मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियाँ पेल थी। श्वासनली इन्टैक्ट थी, निगल व श्वासनली तथा बाह्य प्रणाली पेल थे, प्ल्यूरा दाहिने तरफ फटी हुई थी, प्ल्यूरा कैविटी में आधा लीटर खून का थक्का मौजूद था, दाहिना फेफड़ा फटा हुआ तथा बांया फेफेड़ा पेल था। पेरीकर्डियम पेल, हृदय का दाहिना चैम्बर आधा भरा, बांया चैम्बर खाली व बड़ी रक्त वाहिनियां पेल, अमाशय में 50 एम०एल० द्रव्य पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में गैस तथा फटी हुई। बड़ी आंत गैस व मल पदार्थ, यकृत, पित्ताशय फट हुआ, प्लीहा, अग्नाशय, गुर्दे पेल थे, मुत्राशय खाली था। मृतका की मृत्यु शव विच्छेदन से एक दिन पूर्व की थी। मेरी राय में मृतका की मृत्यु मृत्यु पूर्व पहुंचायी गयी फायर आर्म इंजरी द्वारा पहुंचायी गयी चोट के फलस्वरूप उत्पन्न शॉक हैम्ब्रेज व कोमा के कारण हुई थी।

मैंने शव विच्छेदन समय 03:30 पी०एम० पर प्रारम्भ किया गया तथा समय करीब 04:00 पी०एम० पर समाप्त हुआ। मृतका की मृत्यु दिनांक 09.02.2021 को समय करीब 01:30 पी०एम० या उसके बाद फायर आर्म द्वारा पहुंचायी गयी चोट से हो सकती है। मैंने शव विच्छेदन आख्या अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। जो शामिल पत्रावली का०सं० 9/1 व 9/2 है जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया है। मैंने शव विच्छेदन के उपरान्त शव को व दो अदद शव विच्छेदन आख्या व 11 अदद पुलिस प्रपत्र कॉ० रविकुमार यादव को सुपूर्द किया था। इस सम्बन्ध में विवेचक ने मुझसे पूछताछ किया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू07 के रूप में **निरीक्षक ओमनरायन सिंह (विवेचक मुख्य अपराध)** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 09.02.2021 को थाना महाराजगंज में बतौर थानाध्यक्ष नियुक्त था। उस दिन 22.33 बजे वादी मुकदमा कुलदीप मौर्या की लिखित तहरीर पर मु.अ.सं. 16/21 बनाम धर्मेन्द्र मौर्या धारा 302 IPC दर्ज होकर विवेचना मुझ एसओ ने स्वयं ग्रहण किया। दिनांक 09.02.2021 को पर्चा नं. 01 किता किया। जिसमें विवेचना के क्रम में मैं एस०ओ० हमराही कर्मचारीगण के साथ घटना स्थल ग्राम डेल्हूपुर आया। उच्चाधिकारीगण को दी गयी सूचना के अनुक्रम में विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ. प्र. महानगर लखनऊ की बिल यूनिट जौनपुर के घनश्याम बर्मा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक हमराही कर्मचारीगण के साथ 16.35 बजे ग्राम डेल्हूपुर पहुँचकर चारपाई के चादर पर पड़े गोलगत्ते टुकड़े एक अदद, घटना स्थल से दो चादर चेकदार, एक अदद चारपाइ से एवं ब्लड स्वैब व नमूना, दो अदद सीमेन्टेड फर्स से कब्जे में लेकर घटना स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मौके पर तैयार कर मुझ एस०ओ० को प्रदान किये तथा फिल्ड यूनिट द्वारा घटना स्थल पर की गयी फोटोग्राफी स्टूडियो से तैयार कराकर मुझे प्रदान करने हेतु अवगत कराया गया तथा फिल्ड यूनिट के द्वारा मौके से प्राप्त सभी वस्तुएं मुझ एस.ओ. को फिल्ड यूनिट द्वारा मुझे प्रदान की गयी। इसे वापसी में मालखाना में दाखिल किया गया। तत्पश्चात् मैंने विवेचना के क्रम में नकल चिक, नलक रपट सीडी किया तथा मौके पर तमाम भीड़, वादी व वादी के रिश्तेदार मौजूद थे। वादी से बयान लेने का प्रयास किया गया, लेकिन शोकाकुल होने के कारण बयान अंकित नहीं हो पाया। तत्पश्चात् मौके पर उपस्थित एस०आई० हरीश्चन्द सिंह व हमराहीगण के साथ सी.एच.सी बदलापुर पहुँचे। जहाँ पर मृतका काजल का शव अस्पताल के इमरजेन्सी वार्ड के बेड पर पड़ा था। मेरे निर्देशन में एस०आई० हरीश्चन्द सिंह मृतका काजल सिंह के शव का पंचायतनामा अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया। पंचायतनामा तैयार करने के उपरान्त मृतका काजल का शव विच्छेदन कराने हेतु कांस्टेबल हरेन्द्र कुमार व कांस्टेबल रवि यादव को संबंधित कागजात के साथ वास्ते कराने शव विच्छेदन मुनासिब हिदायत देकर पीएस हाउस रवाना किया गया। तत्पश्चात् मुकदमे में नामित अभियुक्त धर्मेन्द्र की संभावित स्थानों पर तलाश किया जो नहीं मिला। दिनांक 10.02.2021 को पर्चा नं. 02 किता किया, जिसमें वादी कुलदीप मौर्या का बयान लिया तथा वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण करके घटना स्थल का मानचित्र अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया। जो शामिल पत्रावली कागज सं. 05 है। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 9 डाला। तथा मौके पर मौजूद साक्षी फतेहबहादुर मौर्या का बयान लिया तथा नामित अभियुक्त धर्मेन्द्र का संभावित स्थानों पर तलाश किया जो नहीं मिले। दिनांक 11.02.2021 को पर्चा नं. 03 किता किया। जिसमें अभियुक्त धर्मेन्द्र की संभावित स्थानों तलाश किया जो नहीं मिला। दिनांक 12.02.2021 को पर्चा नं 04 किता किया। जिसमें अभियुक्त धर्मेन्द्र की संभावित स्थानों तलाश किया जो नहीं मिला। दिनांक 13.02.2021 पर्चा नं. 05 किता किया। जिसमें जरिए मुखबिर की सूचना पर हमराही कर्मचारीगण के साथ मैं एस०ओ० बैहारी पुलिया के पास गद्दोपुर जाने वाली सड़क पर 06.30 बजे गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम धर्मेन्द्र मौर्या पुत्र रमेश मौर्या निवासी रताशी थाना सिंगरामऊ, जौनपुर बताया। जामातलाशी में अभियुक्त के पहने पैंट के बायें फेटे से एक अदद तमन्चा 12 बोर बरामद हुआ। जिसके नाल को सावधानी पूर्वक खोलकर देखा गया तो एक अदद खोका कारतूस 12 बोर नाल में फंसा हुआ था तथा दीहिने जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अभुयुक्त से तमन्चा रखने का लाइसेंस मांगा गया, तो नहीं दिखा सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 09.02.2021 को ग्राम डेल्हूपुर, महाराजगंज में अपनी रिश्तेदारी की लड़की काजल को मैंने गोली मारकर हत्या करके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर तथा जौनपुर के विभिन्न रिश्तेदारीयों में लुक–छिप कर रह रहा था। मुम्बई भागने के लिए पैसे की व्यवस्था में लगा था कि आपलोग पकड़ लिए। अभियुक्त का यह कार्य

3/25 Arms Act को अपराध बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा माल को पुलिस कब्जा में लिया गया। चूँकि अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा में मुकदमा अ.सं. 16/21 धारा 302 IPC में दर्ज से संबंधित है। बरामद शुदा माल को एक कपड़े में रखकर सील व सर्वमोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी/बरामदगी मौके पर जनता के आने जाने वाले लोगों से गवाही के लिए कहा गया तो भलाई बुराई के भय से कोई तैयार नहीं हुआ तथा वहाँ से हट बढ गये। फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी मौके पर मैंने एसएसआई दिनेश कुमार द्वारा तैयार करवाया गया तथा पढ़वाकर सुनकर मैंने, अभियुक्त तथा संबंधित हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द शामिल पत्रावली मेरे सामने न्यायालय में मौजूद है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया तथा फर्द की एक पठनीय प्रति अभियुक्त को दी गयी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उचित माध्यम से उसके परिजन को दी गयी। बाद गिरफ्तारी/बरामदगी माल मुल्जिम के साथ थाना हाजा आया। मुल्जिम को हवालात में तथा माल को मालखाने दाखिल किया गया तथा फर्द के आधार अभियुक्त थाना हाजा में 3/25 एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया। फर्द की नकल सीडी किया तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त धर्मेन्द्र का बयान लिया। Arms Act का मुकदमा पंजीकृत किया। फर्द की नकल सीडी किया तथा गिरफ्तारशुदा अभियुक्त धर्मेन्द्र का बयान लिया। दिनांक 19.02.2021 को पर्चा नं० 6 किता किया। जिसमें साक्षी दिनेश मौर्या व प्रेमशंकर मौर्या का बयान लिया। दिनांक 27.02.2021 को पर्चा नं० 7 किता किया जिसमें विवेचना के क्रम में साक्षी जयप्रकाश मौर्य का बयान लिया। दिनांक 05.03.2021 को पर्चा नं० 8 किता किया जिसमें विवेचना के क्रम में एफआईआर लेखक कास्टेबल मुहर्रिर पारनाथ यादव का बयान लिया। दिनांक 12.03.2021 को पर्चा नं० 9 किता किया जिसमें विवेचना के क्रम में घटना स्थल ग्राम मल्लूपुर पहुँच कर विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करके साक्ष्य संकलन का प्रयास किया किन्तु किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सका जिसे घटना के बारे में जानकारी हो। दिनांक 18.03.2021 को पर्चा नं० 10 किता किया जिसमें विवेचना के क्रम में पंचायनामा के गवाहान का बयान लेने का प्रयास किया लेकिन संपर्क नहीं हो सका। दिनांक 24.03.2021 को पर्चा नं० 11 किता किया जिसमें अभियुक्त धर्मेन्द्र की न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड बढ़ाने हेतु न्यायालय में आवेदन किया। दिनांक 30.03.2021 को पर्चा नं० 12 किता किया जिसमें मृतका काजल का मूल पंचायतनामा व पीएम रिपोर्ट थाना कार्यालय से प्राप्त कर उसका अवलोकन कर इन्द्राज व संलग्न सीडी किया। दिनांक 07.04.2021 को पर्चा नं० 13 किता किया जिसमें अभियुक्त धर्मेन्द्र की रिमाण्ड बढ़ाने हेतु न्यायालय में आवेदन किया। दिनांक 11.04.2021 को पर्चा नं० 14 किता किया जिसमें पंचायतनामा के गवाह अरूण कुमार मौर्य का बयान लिया। दिनांक 16.04.2021 को पर्चा नं० 15 किता किया जिसमें पंचायतनामा के गवाह हरिशंकर मौर्य का बयान लिया। दिनांक 20.04.2021 को पर्चा नं० 16 किता किया जिसमें अभियुक्त की रिमाण्ड बढ़ाने हेतु न्यायालय में आवेदन किया। दिनांक 23.04.2021 को पर्चा नं० 17 किता किया जिसमें पंचायतनामा भरने वाले उप नि० हरिश्चन्द्र सिंह व पीएम कराने वाले कां० हरेन्द्र कुमार व कां० रवि कुमार का बयान लिया। दिनांक 27.04.2021 को पर्चा नं० 18 किता किया जिसमें मृतका काजल के शव का शव विच्छेदन करने वाले डॉ० शयन दास का बयान लिया। दिनांक 30.04.2021 को पर्चा नं० 19 किता किया जिसमें घटना स्थल से साक्ष्य संकलित करने वाले कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक घनश्याम बर्मा का बयान लिया। दिनांक 03.05.2021 को पर्चा नं० 20 किता किया जिसमें वादी मुकदमा से संपर्क करके पुनः घटना के बारे में पूछताछ किया गया तथा गाँव में भ्रमण कर किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करके साक्ष्य संकलन का प्रयास किया जिसने उपरोक्त घटना घटित होते हुए देखा हो ऐसे व्यक्ति से संपर्क नहीं हो सका। दिनांक 08.05.2021 को पर्चा नं० 21 किता किया। तमामी विवेचना गवाहों से बयानात व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध जुर्म धारा 302 भा०दं०सं० का

अपराध बाखूबी साबित पाते हुए चालान जरिए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। आरोप पत्र शामिल पत्रावली कागज सं० 3/1 लगायत 3/5 मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क –11 डाला गया है। अभियुक्त के पास से बरामद एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व कारतूस सीलबन्द दुरुस्त हालत में न्यायालय में मौजूद है जिस पर अ०सं०– 16/2, 18/21 अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मेन्द्र मेरे द्वारा अंकित किया गया है, जिसे न्यायालय के अनुमति से खोला गया। जिसमें एक तमन्चा 12 बोर जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तमन्चा है जिसे मैं अभियुक्त धर्मेन्द्र के कब्जे से बरामद किया था। जिस पर वस्तु प्रदर्श 1 डाला गया तथा 3 अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 2 लगायत वस्तु प्रदर्श 5 डाला गया है तथा पीएम से प्राप्त छर्रे न्यायालय में मौजूद है जिस पर वस्तु प्रदर्श 6 व कारतूस की टोपी पर वस्तु प्रदर्श 7 डाला गया। तथा घटना स्थल से कब्जे में लिए गए खून आलुदा फर्श का टुकड़ा मेरे समक्ष न्यायालय में मौजूद है जिस पर वस्तु प्रदर्श 8 डाला गया। पीएम से प्राप्त मृतका के फुल जिंस पैंट, फुल समीज, कच्छी, ब्रा, चड्डा व चादर मेरे समक्ष मौजूद है। जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 9 लगायत 14 डाला गया।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 8 के रूप में **हे०कां० पारसनाथ यादव (चिक/जी०डी०लेखक)** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 09.02.2021 को थाना महराजगंज का०मु० कार्यरत था। उस दिन 20.25 बजे वादी मुकदमा कुलदीप मौर्या की एक किता तहरीर दाखिल किया जिसके आधार पर मैंने इस मुकदमें की कायमी जी०डी० रपट नं० 38 समय 20.25 को दिनांक 09.02.2021 मु०अ०सं० 16/2021 धारा 302 भा०दं०सं० बनाम धर्मेन्द्र बाबत घटना खुद की लड़की काजल की हत्या के सम्बन्ध में मैंने सी०सी०टी०एन०एस० ऑपरेटर से बोल–बोलकर तैयार कराया था, जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ओम नरायन सिंह के हस्ताक्षर हैं, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 11/4 है, जिसकी मैंने शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। अपराध संख्या प्राप्त होने के उपरान्त इस मुकदमें की चिक प्र०सू०रि० मैंने सी०सी०टी०एन०एस० ऑपरेटर को वादी मुकदमा की तहरीर को शब्द व शब्द अंकित कराया था, जिस पर तत्कालीन थानाध्यक्ष ओमनरायन के हस्ताक्षर हैं, जो शामिल पत्रावली 1 लगायत 4 है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। मु0 अ 0 सं0.18/2021 अन्तर्गत धारा 3/21 आयुध अधिनियम बनाम धर्मेन्द्र की कायमी जी०डी० एस०ओ० ओम नरायण सिंह की फर्द बरामदगी के आधार पर कायमी जी०जी० रपट संख्या–8 समय करीब 8.17 बजे दिनांक 13.02.2021 की फर्द गिरफ्तारी के आधार पर सी०सी०टी०एन०एस० ऑपरेटर से बोल–बोलकर लिखाया था, जो शामिल पत्रावली कागज संख्या 8/4 है, जिस पर एस०ओ० के हस्ताक्षर जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क 14 डाला गया। अ०सं० प्राप्त होने के उपरांत इस मुकदमें की चिक एफ०आई०आर० फर्द गिरफ्तारी ।बरामदगी के आधार पर सी०सी०टी०एन०एस० ऑपरेटर से शब्द व शब्द बोलकर तैयार कराया था। कागज सं०–4/1 लगायत 4/3 हैं, जिस पर तत्कालीन एस०ओ० के हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क 15 डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने मुझसे पूछताछ किया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 9 के रूप में **उपनिरीक्षक रामजनम यादव (विवेचक आयुध अपराध)** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 13.02.2021 को थाना महराजगंज में बतौर सेकेण्ड अफसर तैनात था। उस दिन यानि दिनांक 13.02.2021 को मेरी मौजूदगी में वादी मुकदमा थानाध्यक्ष ओमनरायन के द्वारा गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मु0 अ 0 सं0 18/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, बनाम धर्मेन्द्र पंजीकृत होकर विवेचना इस एस०आी० को सुपुर्द हुई थी। मैं दिनाँक 13.02.2021 को पर्चा नंबर 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट बयान एफ०आई०आर० लेखक पारसनाथ यादव द्वारा लिखा।

तत्पश्चात् हवालात में बन्द अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्या को तारीख पर बुलाकर उसका बयान लिखा गया तथा अभियुक्त को न्यायालय रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनाँक 14.02.2021 को पर्चा नं0.2 किता किया, जिसमें वादी मुकदमा ओमनरायन सिंह व फर्द के गवाहान हे०कॉ० विरेन्द्र यादव व एक अन्य का बयान लिया तथा व वादी व गवाहान की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल का मानचित्र अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया, जो कागज सं०–5 है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर जिस पर प्रदर्श क–16 डाला गया। दिनाँक 19.02.2021 को पर्चा नंबर–3 किता किया, जिसमें फर्द के गवाह उपनिरीक्षक दिनेश कुमार, कां० विरेन्द्र यादव, कॉ० सुनील यादव व एक अन्य का बयान लिया। अभियोजन स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर को रिपोर्ट प्रेषित किया, जो शामिल पत्रवाली कागज सं०–10/2 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिस पर प्रदर्श क–17 डाला गया। जिलाधिकारी, जौनपुर से अभियोजन स्वीकृत प्राप्त की जायेगी। दिनाँक 26.02.2021 को पर्चा नंबर–4 किता किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय पहुँचकर अभियुक्त को रिमाण्ड बढ़ाने हेतु आवेदन किया। दिनाँक 10.03.2021 पर्चा नं०–5 किता किया, जिसमें अभियुक्त की रिमाण्ड बढ़ाने हेतु आवेदन किया। दिनाँक 01.04.2021 को पर्चा नं०–8 किता किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर की अभिजन स्वीकृत। थाना कार्यालय से प्राप्त हुई, जिसका अवलोकन किया। अवलोकन कर इन्द्राज सी०डी० किया। तमामी विवेचना गवाहों के बयानात व पत्रवाली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र मौर्या के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अपराध पाये जाने पर आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। आरोपपत्र सं०–A35/2021 दिनाँक 01.04.2021 शामिल पत्रावली मेरे समक्ष मौजूद है, जो कागज सं०– 3/1 लगायत 3/4 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–18 डाला गया।

16. अभियोजन द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० को साबित करने के लिए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 09.02.2021 को 1.30 बजे दिन में वादी मुकदमा की पुत्री काजल की गोली मार कर हत्या कर दी गयी।

17. जहां तक अभियुक्त धर्मेन्द्र पर लगाये गए आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में कुल 04 साक्षी पी०डब्लू० 1 कुलदीप मौर्य, पी०डब्लू० 2 फतेह बहादुर, पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश मौर्य व पी०डब्लू० 5 दिनेश कुमार मौर्य को परीक्षित कराए गए है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू01 वादी कुलदीप मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी ससुराल ग्राम ढेल्हूपुर, थाना महराजगंज, जौनपुर में है। मेरे ससुर का नाम मोतीलाल है। मेरे ससुर दो भाई थे। दूसरे भाई का नाम हीरालाल है। मेरे ससुर मोतीलाल के दो लड़के व एक लड़की है। लड़की का नाम सुशीला है, सुशीला की शादी मेरे साथ हुई है। मेरे ससुर के भाई हीरालाल को दो लड़के व तीन लड़कियां हैं। हीरालाल के एक लड़की का नाम शान्ती है। शान्ती की शादी रमेश के साथ हुई है। शान्ती का लड़का धर्मेन्द्र इस मुकदमें में अभियुक्त है। मेरी तीन लड़कियां हैं। बड़ी का नाम पूजा, उससे छोटी का नाम रिचा तथा उससे छोटी का नाम काजल है। मेरा एक लड़का नितिन भी है। इस मुकदमे में मेरी लड़की काजल की हत्या हुई है। मेरी पत्नी व पुत्री रिचा घटना के पहले से ही ग्राम ढेल्हूपुर में थे। मेरे ससुराल में दिनांक 08.02.2021 को पूजन कार्यक्रम था। उसी पूजन कार्यक्रम में मेरी लड़की काजल दिनांक 08.02.2021 को अभियुक्त धर्मेन्द्र के साथ ढेल्हूपुर गयी थी। घटना दिनांक 09.02.2021 को दोपहर करीब 01.30 बजे की है। मेरी लड़कियां रिचा व काजल कमरे में बैठी थी। रिचा अपने मामा के लिए खाना लेने रसोई में चली गयी। तब धर्मेन्द्र कमरे में अंदर चला गया। उसी समय गोली चलने की आवाज आयी। तभी रिचा दौड़कर कमरे में आयी तो धर्मेन्द्र ने कहा

काजल का पेट फट गया है, खून निकल रहा था, इसे अस्पताल ले चलना है। काजल के मामा फतेह बहादुर ने मुझे फोन करके कहा कि काजल की हालत खराब है। आप तुरन्त सरकारी अस्पताल बदलापुर पहुंचे। इस सूचना पर मैं अपने भाई दिनेश व गांव के कई लोग सरकारी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मेरी लड़की को देखकर कहा कि इसे गोली लगी है। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू02 फतेहबहादुर मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08 फरवरी, 2021 को मेरे घर पूजन कार्यक्रम था, जिसमें मैंने अपने बहनोई कुलदीप व रमेश को भी बुलाया था। इस पूजन कार्यक्रम में धर्मेन्द्र 08 तारीख को ही मेरे घर आया था। मेरी भांजी रिचा घटना के पहले से ही मेरे घर पर थी। घटना दिनांक 09.02.2021 को दोपहर लगभग 01:30 बजे की है। मैं चांदा से दवा लेकर घर पहुंचा तो रिचा, काजल तथा धर्मेन्द्र कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मैं रिचा से खाना मांगकर छत पर जा रहा था और छत पर पहुंचने वाला ही था कि तभी घर में गोली चलने की आवाज आयी। गोली की आवाज सुनकर मैं कमरे में नीचे आया तो देखा कि काजल लेटी थी और उसके पेट से खून निकल रहा था। जब मैं नीचे आया, तो उस समय काजल के पास धर्मेन्द्र व रिचा मौजूद थे। धर्मेन्द्र ने कहा कि 'काजल का पेट फट गया है, इसे अस्पताल ले चलना है।' तब मैं अपनी भांजी काजल को लेकर सरकारी अस्पताल बदलापुर गया। मेरे साथ रिचा, धर्मेन्द्र, अरुण व गुड्डू भी सरकारी अस्पताल बदलापुर गये थे। मैं घर से बदलापुर निकलते समय अपने बहनोई कुलदीप को सूचित किया कि मैं काजल को लेकर सरकारी अस्पताल बदलापुर जा रहा हूँ, वहीं पहुंचिए। जब हम लोग काजल को लेकर सरकारी अस्पताल बदलापुर पहुंचे तो कुलदीप अपने भाई व गांव वालों के साथ बदलापुर सरकारी अस्पताल पहुंच गये थे। डॉक्टर ने काजल की चोट को देखकर कहा कि यह गोली की चोट है, यह बात सुनते ही धर्मेन्द्र वहां से फरार हो गया। डॉक्टर ने काजल को मृत घोषित कर दिया। हम लोगों ने रिचा से पूछा कि तुम नीचे थी, वहां क्या हुआ था? काजल को गोली कैसे लगी? तब रिचा ने बताया कि धर्मेन्द्र काजल से एकतरफा प्यार करता था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू04 जयप्रकाश मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनांक 09.02.2021 की है। मैं उस समय मुंगराबादशाहपुर में था। समय करीब 3 बजे अपराह्न मेरे ससुराल ग्राम मल्होपुरए थाना सिंगरामउ से मेरी साली रिचा ने फोन करके बताया कि उसकी छोटी बहन काजल को अभियुक्त धर्मेन्द्र ने गोली मार दिया है, जिससे उसका पेट फट गया है। उसे ईलाज हेतु बदलापुर सरकारी अस्पताल ले गये हैं। मैं भी सूचना पर बदलापुर अस्पताल पहुंचा तो वहां पर मेरे ससुर कुलदीप मौर्य व परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। मेरे ससुर ने बताया कि चिकित्सक ने काजल को मृत घोषित कर दिया है। मेरी दोनों सालियां रिचा और काजल घटना के दिन अपने ननिहाल ढेल्लूपुर, थाना महराजगंज में थीं और यह घटना ढेलूपुर में ही घटित हुई है। मेरी साली रिचा ने ढेलूपुर से ही घटना के बारे में बताया था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू05 दिनेश कुमार मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरे भाई कुलदीप मौर्या की शादी ग्राम ढेल्लूपुर, थाना महराजगंज, जौनपुर में मोतीलाल की पुत्री सुशीला के साथ हुई है। मेरी भतीजी काजल दिनांक 08.02.2021 को अपने मामा के घर पूजन में सम्मिलित होने ढेल्लूपुर गयी थी। दिनांक 09.02.2021 को मेरे भाई कुलदीप ने मुझसे कहा कि काजल की हालत बहुत खराब है, सरकारी अस्पताल बदलापुर चलना है। तब मैं अपने गांव के प्रेमशंकर, विशाल, अच्छेलाल व कई लोगों के साथ अपने भाई कुलदीप को लेकर सरकारी अस्पताल, बदलापुर गया, जहां अस्पताल में मेरे भाई कुलदीप का साला फतेह बहादुर तथा ढेल्लूपुर गांव के बहुत से लोग इकट्ठे थे। मेरी भतीजी काजल की लाश सरकारी अस्पताल, बदलापुर में पड़ी थी।

उक्त अभियोजन साक्षियों ने घटना दिनांक 09.02.2021 को समय लगभग 1.30 बजे की होने का कथन अपने साक्ष्य में किया है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा मृतका काजल को

गोली मारते हुए देखे जाने का कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। साक्षियों के बयान से यह स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी कुलदीप मौर्य, पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश मौर्य व पी०डब्लू 5 दिनेश कुमार मौर्य घटना के समय घटनास्थल ढेलूपुर, महाराजगंज में मौजूद नहीं थे। उनके द्वारा घटना को अपनी आंखों से देखे जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 वादी कुलदीप मौर्य व पी०डब्लू० 4 जयप्रकाश मौर्य ने रिचा (मृतका की बहन) के बताने के आधार पर बयान न्यायालय के समक्ष दिया है। जहां तक अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 फतेहबहादुर मौर्य के साक्ष्य का प्रश्न है, वह मृतका का मामा है। मृतका की हत्या उसी के घर पर अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा किये जाने का कथन अभियोजन की ओर से किया गया है। अभियोजन कथानक के अनुसार फतेहबहादुर मौर्य के घर पूजा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मृतका काजल व अभियुक्त धर्मेन्द्र आये थे।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 फतेहबहादुर के द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र को घटना के ठीक पूर्व मृतका के साथ अपने मकान के कमरे में एकसाथ बात करते हुए देखा गया है। साक्षी के कथनानुसार घटना के दिनांक 09.02.2021 को दोपहर लगभग 1.30 बजे वह चांदा से दवा लेकर घर पहुंचा था। जब वह दवा लेकर घर पहुंचा तो रिचा, काजल तथा धर्मेन्द्र कमरे में एकसाथ बैठ कर बात कर रहे थे। वह रिचा से खाना मांग कर छत पर जा रहा था। वह छत पर पहुंचने वाला था तभी घर में गोली चलने की आवाज आयी। आवाज सुनकर वह नीचे कमरे में आया तो देखा काजल लेटी थी और उसके पेट से खून निकल रहा था। उस समय काजल के पास धर्मेन्द्र व रिचा मौजूद थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जब रिचा (मृतका की बहन) रसोई में खाना निकालने गयी तभी मौका पाकर अभियुक्त धर्मेन्द्र ने काजल को गोली मार दी। आवाज सुनकर रिचा व घर के सभी लोग मौके पर पहुंचे और काजल को लेकर सी.एच.सी. बदलापुर आये जहां डाक्टर ने काजल को मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षी के साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र घटना के ठीक पूर्व व पश्चात् मृतका के साथ कमरे में मौजूद था और उसकी उपस्थिति में घटना कारित की गयी। ऐसी स्थिति में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर था कि वह यह तथ्य साबित करे कि मृतका काजल को गोली कैसे लगी। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106** के अनुसार जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है परन्तु अभियुक्त की ओर से इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतका को गोली कैसे लगी।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि वह घटना के समय मृतका के कमरे में मौजूद नहीं था। वह भी गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचा था। ऐसी स्थिति में यह भार अभियुक्त पर था कि वह इस तथ्य को साबित करे कि वह घटना के समय कहाँ था। अभियुक्त की ओर से इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया गया है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103** के अनुसार किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके अस्तित्व में विश्वास करें, जब तक की किसी विधि द्वारा यह उपबंधित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। धारा में दिये गये दृष्टांत के अनुसार B न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था तो उसे यह बात साबित करनी होगी।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह तथ्य संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त घटना के ठीक पूर्व व पश्चात् मृतका के कमरे में मौजूद था। यद्यपि किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त को मृतका पर गोली चलाते अपनी आंखों से नहीं देखा है। सम्पोषक साक्ष्य के रूप में पत्रावली में फर्द कट्टा बरामदगी प्रदर्श क–10 उपलब्ध है। विवेचक (पी०डब्लू० 7 निरीक्षक ओमनरायन सिंह) के द्वारा दिनांक 13.02.2021 को मुखबिर की सूचना पर बैहारी पुलिया के पास गद्दोपुर जाने वाली सड़क पर समय 6.30 बजे सुबह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान

जामातलाशी में अभियुक्त के पहने पैंट के बांये फेटे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद तमन्चा 12 बोर जिसकी नाल में एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर फंसा हुआ था तथा दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। विवेचक द्वारा मौके पर फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी तैयार की गयी है जिसपर अभियुक्त के हस्ताक्षर भी है और फर्द की एक नकल अभियुक्त को दी गयी है। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–10 पर विवेचक द्वारा अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की गयी है।

विवेचक द्वारा बरामदशुदा तमन्चा व कारतूस को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ भेजा गया है। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान 12 बोर खोखा कारतूस को **EC–1,** जिन्दा कारतूस को **LC–1,** तथा 12 बोर पिस्तौल को **1/2024** से चिन्हित किया गया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट कागज संख्या 25 क (प्रदर्श क–21) पत्रावली में दाखिल है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट में निम्न अभिमत प्राप्त हुए है–

1. विवादित कारतूस चिन्हित EC–1, विवादित 12 बोर देशी पिस्तौल चिन्हित 1/2024 द्वारा चलाया गया है।

2. विवादित 51 लेड धातु के विकृत छर्रे सम्मिलित रूप से चिन्हित P–1, भार में स्टैण्डर्ड नं० BB के लगभग समान है। विवादित वाड्स चिन्हित W–1 व W–2 बोर के कारतूसों के वाड हैं। इस प्रकार के छर्रे व वाड, 12 बोर के कारतूसों में प्रयोग किये जाते है।

3. विवादित वाड का टुकड़ा चिन्हित W–3, 12 बोर के कारतूस का ओवर शॉट वाड है।

दौरान विवेचना विवेचक ओमनरायन सिंह द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश महानगर लखनऊ की बिल यूनिट जौनपुर के घनश्याम वर्मा कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक व हमराही कर्मचारीगण के साथ घटनास्थल पर पहुंच कर चारपाई के चादर पर पड़े गोल गत्ते का टुकड़ा एक अदद, दो चादर चेकदार, ब्लड स्वैब व नमूना, दो अदद सीमेन्टेड फर्श के टुकड़े कब्जे में लिया गया है। विवेचक द्वारा मृतका की फुल जीन्स पैंट, फुल समीज, कच्छी, ब्रा, व चड्ढा भी परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश रामनगर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–19 व 20 पत्रावली में संलग्न है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० रामनगर, वाराणसी की परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या 26 ख/2 (प्रदर्श क–19) में–वस्तु 1 से 7 (क्रमशः फुल जीन्स पैंट, फुल समीज, कच्छी, ब्रा, चड्ढा, चादर, स्वैब खूनालूद, स्वैब सादा) पर रक्त पाया गया। वस्तु (1) से (4), (6), (7) पर मानव रक्त पाया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र० रामनगर, वाराणसी की परीक्षण रिपोर्ट कागज संख्या 26 ख/3 (प्रदर्श क–20) में–फर्श के टुकड़े पर रक्त पाया गया है। रक्त वियोजित (डिसइन्टीग्रेटेड) पाये जाने के कारण मूल निर्धारण करना सम्भव न हो सका।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 फतेहबहादुर सिंह ने पंचनामा प्रदर्श क–2 पर अपना हस्ताक्षर होना साबित किया है। पंचनामा दिनांक 09.02.2021 को समय 20.35 बजे से 21.30 बजे के मध्य किया गया है। पंचनामें पर पंचान के रूप में फतेहबहादुर मौर्य, दिनेश कुमार मौर्य, कुलदीप मौर्य, अरूण कुमार मौर्य व हरिश्चन्द्र मौर्य के हस्ताक्षर है। पंचनामा उपनिरीक्षक हरिश्चन्द्र (पी०डब्लू० 3) के द्वारा तैयार किया गया है। पंचों की राय के अनुसार मृतका की मृत्यु गोली लगने से होना बताया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 3 उपनिरीक्षक हरिश्चन्द्र ने पंचायतनामें से सम्बन्धित प्रपत्र कागज संख्या 8/5 लगायत 8/9 (प्रदर्श क–3 लगायत प्रदर्श क–7) को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है।

मृतका काजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क –8 पत्रावली में दाखिल है। मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 10.02.2021 को 3.30pm से शुरू कर 4:00pm तक किया गया है। मृतका का शव जिला अस्पताल जौनपुर में 3.00pm पर दिनांक 10.02.2021 कां० विरेन्द्र व कां० रवि कुमार यादव के द्वारा लाया गया था। शव की शिनाख्त फतेहबहादुर मौर्या व दिनेश कुमार मौर्या ने की थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–8 को पी०डब्लू० 6 डा० शायनदास ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया गया है।

मृतका के शरीर पर निम्न मृत्युपूर्व चोटें पायी गयी है–

मृत्यु पूर्व चोट–प्रवेश घाव 3.5 सेमी० X4.00 सेमी० पेट के ऊपरी हिस्से पर जो कि 11 सेमी० दाहिने निप्पल से व 13 सेमी० बांये निप्पल की दूरी पर स्थित था। घाव को खोलने पर लीवर लेसरेटेट(फटा) हुआ था, जो 6 सेमी० X 4 सेमी० तथा कई सारे पिलट्स लीवर के ऊपर मौजूद थे, जिसे रिकवर किया गया। ये पिलट्स लंग्स के निचले हिस्से एवं आँत से रिकवर किये गये, दाहिना फेफड़ा का निचला हिस्सा फटा हुआ था, 2 ली० खून के थक्के मौजूद थे तथा दाहिने तरफ की 7 वीं से 9 वीं रिब्स टूटी हुई थी।

आन्तरिक परीक्षण– मस्तिष्क व मस्तिष्क की झिल्लियाँ पेल थी। श्वासनली इन्टैक्ट थी, निगल व श्वासनली तथा बाह्य प्रणाली पेल थे, प्ल्यूरा दाहिने तरफ फटी हुई थी, प्ल्यूरा कैविटी में आधा लीटर खून का थक्का मौजूद था, दाहिना फेफड़ा फटा हुआ तथा बांया फेफेड़ा पेल था। पेरीकर्डियम पेल, हृदय का दाहिना चैम्बर आधा भरा, बांया चैम्बर खाली व बड़ी रक्त वाहिनियां पेल, अमाशय में 50 एम०एल० द्रव्य पदार्थ मौजूद था। छोटी आंत में गैस तथा फटी हुई। बड़ी आंत गैस व मल पदार्थ, यकृत, पित्ताशय फट हुआ, प्लीहा, अग्नाशय, गुर्दे पेल थे, मुत्राशय खाली था। मृतका की मृत्यु शव विच्छेदन से एक दिन पूर्व की थी। **साक्षी की राय में मृतका की मृत्यु, मृत्यु पूर्व पहुंचायी गयी फायर आर्म इंजरी के फलस्वरूप उत्पन्न शॉक हैमरेज व कोमा के कारण हुई थी।** साक्षी की राय में मृत्यु का सम्भावित समय दिनांक 09.02.2021 को 1.30pm या उसके बाद का था

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 निरीक्षक ओमनरायन सिंह ने मु०अ०सं० 16/2021 में वादी मुकदमा कुलदीप मौर्या की निशानदेही पर तैयार किये गये नक्शानजरी प्रदर्श क –9 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना तथा आरोप–पत्र प्रदर्श क– 11 पर अपने हस्ताक्षर में होना साबित किया है। साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० न्यायालय में प्रेषित किया गया है। साक्षी द्वारा घटनास्थल से कब्जे में लिये गये खूनआलूदा फर्श के टुकड़े को वस्तु प्रदर्श 8 तथा पीएम से प्राप्त मृतका के फुल जीन्स पैंट, फुल समीज, कच्छी, ब्रा, चड्ढा व चादर को क्रमशः वस्तु प्रदर्श 9 लगायत 14 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 हे०कां० पारसनाथ यादव ने **मु०अ०सं० 16/2021** की कायमी जी.डी. प्रदर्श क–12 व चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–13 को साबित किया है।

18. अभियोजन साक्षियों की ओर से अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया गया है। बचावपक्ष की ओर से उक्त साक्षियों से विस्तृत जिरह की गयी है। जिरह के दौरान भी उक्त साक्षियों ने अभियोजन कथानक के अनुरूप बयान दिए हैं। यद्यपि साक्षियों के बयान में कुछ जगहों पर विरोधाभाष विद्यमान है, लेकिन वे अत्यन्त सूक्ष्य प्रकृति के हैं, जो समय अन्तराल में साक्षियों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आना स्वाभाविक हैं। बचावपक्ष की ओर से तर्क के दौरान इस बिन्दु पर विशेष बल दिया गया और साक्षियों के बयानों में कई जगहों पर विरोधाभाष इंगित किया गया है। लेकिन साक्षियों के बयान में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभाष नहीं पाया जाता जिससे मामले पर विपरीत प्रभाव पडता हो।

बहस के दौरान बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया कि वादी द्वारा रंजिशन उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाया गया है तथा घटना का कोई मोटिव दर्शित नहीं किया गया है। जहाँ तक बचाव पक्ष द्वारा किये गए उक्त तर्क का प्रश्न है, बचाव पक्ष द्वारा लिया गया यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि रंजिश एक दोधारी तलवार है, जिसका प्रयोग दोनों ओर से किया जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी रंजिश के कारण हत्या जैसे गम्भीर मामले में मुख्य अभियुक्त को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को झूठा

फंसाये,तार्किक/विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। जहां तक घटना के मोटिव का प्रश्न है, अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 फतेहबहादुर मौर्य ने अपनी मुख्य परीक्षा में पेज संख्या 02 पर यह कथन किया है कि हम लोगों ने मृतका की बहन रिचा से पूछा कि तुम नीचे थी, क्या हुआ और काजल को गोली कैसे लगी तो रिचा ने बताया कि **धर्मेन्द्र काजल से एक तरफा प्यार करता था।**

19. बचाव पक्ष की ओर से एक तर्क यह भी किया गया है कि अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। परीक्षित साक्षी हितबद्ध साक्षी है। जहां तक बचाव पक्ष द्वारा किये गये उक्त तर्क का प्रश्न है, यह सही है कि अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी के रूप में मृतका के पारिवारिक सदस्यों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। किसी स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है लेकिन स्वतंत्र साक्षी परीक्षित न कराये जाने के आधार पर अभियोजन कथानक पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। घटना घर के अन्दर की कहीं जाती है। ऐसी स्थिति में किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थित घटना के दौरान संभाव्य नहीं है। जहां तक फर्द बरामदगी में स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति न होने का प्रश्न है, फर्द बरामदगी में इस आशय का उल्लेख किया गया है कि मौके पर आने जाने वाले राहगीरों से गवाही हेतु कहा गया परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया है। बचाव पक्ष द्वारा जिरह किए जाने पर उनकी ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता हो।

In a most celebrated case of Supreme Court reported in 1984 (4) SCC 116 Sharad Birdhichand Sarda Vs. State of Maharashtra in para 153, some cardinal principles regarding the appreciation of circumstantial evidence have been postulated. Whenever the case is based on circumstantial evidence following features are required to be complied with. which are as under:-

(i) The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must or should be and not merely 'may be' fully established,

(ii) The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(iii) The circumstances should be of a conclusive nature and tendency,

(iv) They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(v) There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused".

With regard to Section 27 of the Act, what is important is discovery of the material object at the disclosure of the accused but such disclosure alone would not automatically lead to the conclusion that the offence was also committed by the accused. In fact, thereafter, burden lies on the prosecution to establish a close link between discovery of the material objects and its use in the commission of the offence.

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त को घटना के ठीक पूर्व व पश्चात् मृतका के साथ कमरे (घटनास्थल) पर देखा गया है। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त धर्मेन्द्र मृतका से एक तरफा प्यार करता था और घटना के पश्चात् अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद तमन्चा 12 बोर की बरामदगी हुई है। जिसके नाल में एक अदद खोखा कारतूस फंसा था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट (प्रदर्श क-21) के अनुसार विवादित कारतूस विवादित 12 बोर देशी पिस्तौल द्वारा चलाया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में एक मात्र यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा ही मृतका की हत्या की गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में वे सभी तत्व (Features) विद्यमान है जो Sharad Birdhichand Sarda के मामले में माननीय उच्चतम न्या० द्वारा आवश्यक बताये गये है।

उक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा०द०सं० सन्देह से परे साबित है।

20. जहां तक अभियुक्त धर्मेन्द्र पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का प्रश्न है, अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 निरीक्षक ओमनरायन सिंह द्वारा **मु०अ०सं० 16/2021** के मामले में दौरान विवेचना दिनांक 13.02.2021 को मुखबिर की सूचना पर बैहारी पुलिया के पास गद्दोपुर जाने वाली सड़क पर समय 6.30 बजे सुबह अभियुक्त धर्मेन्द्र को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान जामातलाशी में अभियुक्त के पहने पैंट के बांये फेटे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद तमन्चा 12 बोर जिसकी नाल में एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर फंसा हुआ था तथा दाहिने जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। विवेचक द्वारा मौके पर फर्द गिरफ्तारी/बरामदगी तैयार की गयी है जिसपर अभियुक्त के भी हस्ताक्षर है और फर्द की एक नकल अभियुक्त को दी गयी है। फर्द विवेचक के बोलने पर एस.एस.आई. श्री दिनेश कुमार द्वारा लिख कर तैयार की गयी है। जिस पर विवेचक के हस्ताक्षर है।

फर्द बरामदगी प्रदर्श क–10 पर विवेचक द्वारा अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की गयी है। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्त धर्मेन्द्र के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 18/2021 अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम सम्बन्धित थाने में पंजीकृत की गयी है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 हे०कां० पारसनाथ यादव ने **मु०अं०सं० 18/2021** की कायमी जी.डी. प्रदर्श क–14 व चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–15 को साबित किया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 निरीक्षक ओमनरायन सिंह ने अभियुक्त धर्मेन्द्र के पास से बरामद एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर को वस्तु प्रदर्श 1 तथा 3 अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस को वस्तु प्रदर्श 2 लगायत वस्तु प्रदर्श 5, पीएम से प्राप्त छर्रे को वस्तु प्रदर्श 6 तथा कारतूस की टोपी को वस्तु प्रदर्श 7 के रूप में साबित किया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 9 उपनिरीक्षक रामजनम यादव ने मु०अ०सं० 18/2021 में वादी मुकदमा व गवाहन की निशानदेही पर तैयार किये गये नक्शानजरी प्रदर्श क–16 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना व अभियोजन स्वीकृत हेतु जिलाधिकारी, जौनपुर को प्रेषित पत्र प्रदर्श क–17 में होना साबित किया है। लोक अभिलेख होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति दिनांकित 24.03.2021 पर नियमानुसार प्रदर्श क–22 डाला गया है। साक्षी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया है। साक्षी ने आरोपपत्र प्रदर्श क–18 को अपने हस्ताक्षर में होना साबित किया है।

21. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्षियों से अभियुक्त धर्मेन्द्र पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सन्देह से परे साबित है।

तद्नुसार अभियुक्त लगाए गए आरोपों 302 भा०दं०सं० व 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त धर्मेन्द्र को सत्र विचारण संख्या 140/2021 (मु०अ०सं०–16/2021) थाना महाराजगंज, जिला जौनपुर के मामले में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त धर्मेन्द्र को सत्र विचारण संख्या 141/2021 (मु०अ०सं०–18/2021) थाना महाराजगंज, जिला जौनपुर के मामले में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त धर्मेन्द्र जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

सजा पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 11.03.2026 को पेश हो।

<u>दिनांक-09.03.2026</u>

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
जौनपुर ।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112

दिनांक–12.03.2026

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु न्यायालय के समक्ष पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त धर्मेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त अपने माता पिता का अकेला है। माता पिता की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। उसके द्वारा निर्दोष व्यक्ति की हत्या की गयी है। उसे किसी प्रकार की रियायत दिया जाना उचित नहीं है। अतः संहिता में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सजा के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य,परिस्थितियों व अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र को सत्र विचारण संख्या 140/2021 (मु०अ०सं०–16/2021), थाना महाराजगंज, जिला जौनपुर के मामले में अपराध अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० में आजीवन कारावास एवं 10,000/–(दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त धर्मेन्द्र को सत्र विचारण संख्या 141/2021 (मु०अ०सं०–18/2021), थाना महाराजगंज, जिला जौनपुर के मामले में अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000/–(पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अभियुक्त उपरोक्त की सभी सजायें साथ–साथ चलेंगी। इस अभियोग में अभियुक्त के द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि उक्त सजा की अवधि में नियमानुसार समायोजित की जायेगी।

अभियुक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार भेजा जाए।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्त अथवा उसके विद्वान अधिवक्ता को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक-12.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-12.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर।
जे०ओ० कोड – यू०पी० 6112